

शासी निकाय

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी का शासी निकाय (शा.नि.), सचिव, (जल संसाधन) भारत सरकार की अध्यक्षता में सोसाइटी के नियमों, उपनियमों तथा आदेशों के अनुसार सोसाइटी के कार्यों तथा निधियों की व्यवस्था, देख-रेख उन्हें निर्दिष्ट व नियंत्रित करता है तथा आमतौर पर संस्था के ज्ञापन-पत्र के अनुसार सोसाइटी की गतिविधियों के लिए कार्य करता है तथा ऐसा करते समय सोसाइटी द्वारा निर्धारित नीति-निर्देशों तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण तथा उनका कार्यान्वयन करता है। रा.ज.वि.अ. की स्थापना से 30-1-14 तक रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 60 बैठकें हो चुकी हैं।

रा.ज.वि.अ.के शासी निकाय के सदस्यगण

1.	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो ।	सदस्य
3.	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो ।	सदस्य
4.	सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो ।	सदस्य
5.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो ।	सदस्य
6.	सचिव, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो ।	सदस्य
7.	सचिव, योजना आयोग अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो ।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ।	सदस्य
9.	अध्यक्ष, केंद्रीय भू-जल बोर्ड ।	सदस्य
10.	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ।	सदस्य
11.	अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ।	सदस्य
12.	सदस्य (जल, नीति व आयोजना), केंद्रीय जल आयोग ।	सदस्य
13.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग ।	सदस्य
14.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो ।	सदस्य
15.	आयुक्त (परियोजना), जल संसाधन मंत्रालय ।	सदस्य
16.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
17.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, असम सरकार	सदस्य
18.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, बिहार सरकार	सदस्य
19.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, छत्तीसगढ़ सरकार	सदस्य
20.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, गुजरात सरकार	सदस्य
21.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, हरियाणा सरकार	सदस्य

22.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, झारखंड सरकार	सदस्य
23.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, कर्नाटक सरकार	सदस्य
24.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, केरल सरकार	सदस्य
25.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
26.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
27.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उड़ीसा सरकार	सदस्य
28.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पंजाब सरकार	सदस्य
29.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, राजस्थान सरकार	सदस्य
30.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तमिलनाडु सरकार	सदस्य
31.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तराखंड सरकार	सदस्य
32.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
33.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
34.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पुडुचेरी सरकार	सदस्य
35.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य—सचिव